संख्या-42/2023/2146/58-2023/1382377-2023

प्रेषक,

विनय कुमार
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0306 गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योनजा के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-1062.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्ता के रूप में रू0-177.08 लाख को अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-55/बजट/2023-24, दिनांक 05.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के अधीन उद्यान शाखा के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष **2023-24** में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0306 गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-**1062.50** लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0-177.08 लाख **(रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख आठ हजार मात्र)** को अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नंवत है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्केरण शाखा के अन्त र्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

desh.up.gov.in

2. उद्यान शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कंरण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तउरदायी होंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत स्वीकृत में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17/03/2023 में दी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
7. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क़रण विभाग तथा वित्ता नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,77,08,000 (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001190306 गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास **मानक मद** 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023में उद्यान विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 42/2023/2146(1)/58-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज।

(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanad